44 III/नि०/सिंगरौली/भू-रा०/2017/4215

**समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0) कैम्प रीवा**

**पुनरीक्षण याचिका क्र0 /2017**

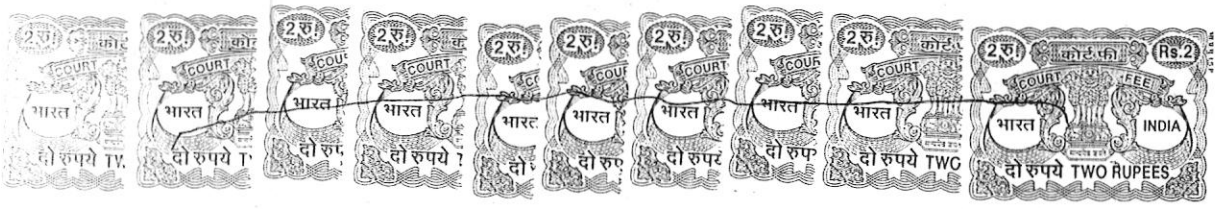

Rs 30/

दिनेश कुमार पाण्डेय आत्मज स्व0 अम्बिका प्रसाद पाण्डेय उम्र–50 वर्ष निवासी ग्राम–हर्रई (पूर्व) तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ............**याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. अवधराज कुमारी विधवा पत्नी चन्द्रकेश्वर प्रसाद पाण्डेय उम्र–81 वर्ष निवासी ग्राम–हर्रई (पूर्व) तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
2. प्रदीप कुमार पाण्डेय आत्मज स्व0 चन्द्रकेश्वर प्रसाद पाण्डेय उम्र–46 वर्ष निवासी ग्राम–हर्रई (पूर्व) तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
3. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर सिंगरौली ................**प्रत्यर्थी**

अधि0 श्री विवेक शर्मा द्वारा पेश 6-11-17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

**पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सिंगरौली राजस्व प्र0क्र0 69–अ–70/16-17 दिनांक 16.10.2017**

**मान्यवर,**

मामले का सैक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा क्र0 441/2ख रकवा 0.405 हे0 स्थित ग्राम–हर्रई (पूर्व) तहसील व जिला–सिंगरौली (म0प्र0) का पट्‌टा ब्रहमदत्त राम व सूर्यदत्त राम के नाम था जिसे 50 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी क्र0 1 के ससुर एवं क्र0 2 के बाबा कमला राम पाण्डेय ने पूर्व पट्‌टेदार से विक्री में लिया था। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में उन्होने अपने जीवन काल में ही इस भूमि का नामांतरण प्रत्यर्थी क्र0 1 के पक्ष में करवा दिया था फलस्वरूप इस भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में उसी का नाम भू–अभिलेखों में अंकित होता चला आ रहा है। प्रत्यर्थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक **तीन–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/4215**

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 07-03-2018 | पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को स्थगन अवधि वढ़ाये जाने पर सुना गया था। धारा–52 के आवेदन के तथ्यों का एंव निगरानी मेमो के तथ्यों से तहसीलदार सिंगरोली के प्रकरण कमांक 69 अ–70/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–10–2017 का मिलान करने पर तहसीलदार का आदेश इस प्रकार पाया गया है :–<br>" **प्रकरण पेश । अवलोकन किया। अनावेदक पक्ष द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर प्रश्न उठाया गया था, जो तथ्य परक न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदिका पक्ष द्वारा विधिवत् भूमि का सीमांकन कराकर धारा 250 MPLRC अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथमतः प्रकरण को प्रचलनयोग्य मानते हुये प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।** "<br>तहसीलदार के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय से परिलक्षित है कि आवेदक तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के प्रकरण में किसी प्रकार की जॉच एंव सुनवाई होने देना नहीं चाहता है एंव प्रकरण प्रारंभिक स्टेज पर निरस्त कराना चाह रहा है । इसी उद्वेश्य से तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 16–10–17 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक को तहसीलदार के समक्ष स्वयं के पक्ष में लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके पक्ष प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य एंव प्रचलन–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।<br>सदस्य | |